

COVID-19 मार्गदर्शन

हमारे राज्य में तेज़ी से बढ़ रहे COVID मामलों के प्रसार को धीमा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पतालों और मेडिकल सिस्टम्स पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम बहुत कड़े लेकिन ज़रूरी कदम उठा रहे हैं।

हम समझते हैं कि इससे कई कारोबारों को वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा गवर्नर और स्टाफ उन प्रभावों को कम करने के तरीके तलाश रहे हैं।

- सोमवार, 16 नवंबर को आधी रात से लेकर 14 दिसंबर तक, वॉशिंगटन में सभी काउंटीज़ में नीचे दिए गए प्रतिबंध फिर से लगाए जाएंगे।

सोमवार, 16 नवंबर को आधी रात से प्रभावी सभी काउंटीज़ के लिए प्रतिबंध संशोधन, जब तक अन्यथा नोट नहीं किया जाता। यदि गतिविधि सूचीबद्ध नहीं है, तो उसे अपने वर्तमान मार्गदर्शन का पालन करना होगा। सभी K-12/उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और बच्चों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं नए प्रतिबंधों से मुक्त हैं और वे वर्तमान मार्गदर्शन का पालन करेंगी। अदालतों और न्यायिक शाखा-संबंधी कार्यवाहियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होते।

1. **आंतरिक सामाजिक सभाएं** जो आपके परिवार से बाहर के लोगों के साथ हों, तब तक वर्जित हैं जब तक वे लोग (ए) सामाजिक सभा से पहले चौदह (14) दिनों के लिए क्वारंटीन नहीं होते; या (बी) सामाजिक सभा से पहले सात (7) दिनों के लिए क्वारंटीन नहीं होते और सभा से 48-घंटे पहले तक उन्हें COVID-19 टेस्ट का नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं होता। एक ही घर में रहने वाले व्यक्तियों को परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है।
2. **बाहरी सामाजिक सभाएं** आपके परिवार से बाहर के पाँच (5) लोगों तक सीमित की जाएंगी।
3. **रेस्तरां और बार** इनडोर डाइन-इन सर्विस के लिए बंद हैं। आउटडोर डाइनिंग और टू-गो सर्विस की इजाज़त है, बशर्ते कि सारी आउटडोर डाइनिंग को आउटडोर डाइनिंग गाइडेंस की शर्तों का पालन करना होगा। आउटडोर डाइनिंग के लिए टेबल पर लोगों की संख्या अधिकतम पाँच (5) लोगों तक सीमित है। रेस्तरां और बार के लिए ये संशोधित प्रतिबंध बुधवार, 18 नवंबर, 2020 को प्रातः 12:01 बजे से लागू होंगे।
4. **फिटनेस सुविधाएं और जिम** इनडोर ऑपरेशन्स के लिए बंद हैं। आउटडोर फिटनेस क्लासेज़ की इजाज़त है लेकिन वे ऊपर बताए गए बाहरी सामाजिक सभा संबंधी प्रतिबंध के अधीन और उसके द्वारा सीमित हैं।
5. **बॉलिंग सेंटर्स** इनडोर सर्विस के लिए बंद हैं।
6. **विविध स्थान:** सभी रिटेल गतिविधियाँ और व्यावसायिक मीटिंग्स वर्जित हैं। केवल वे पेशेवर प्रशिक्षण और परीक्षण जो दूरस्थ ढंग से नहीं किए जा सकते, तथा अदालतों और न्यायिक शाखा-संबंधी सभी कार्यवाहियों की इजाज़त है। हर मीटिंग रूम में लोगों की संख्या आंतरिक संख्या सीमा के 25 प्रतिशत या 100 लोगों, जो भी कम हो, तक सीमित है।
 - विविध स्थानों में शामिल हैं: कन्वेंशन/कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, किसी होटल में निर्दिष्ट मीटिंग स्थल, ईवेंट्स सेंटर्स, फेयरग्राउंड्स, खेलों के मैदान, गैर-लाभकारी प्रतिष्ठान, या काफी हद तक समान स्थान।

7. **मूवी थिएटर्स** इनडोर सर्विस के लिए बंद हैं। ड्राइव-इन मूवी थिएटर्स की इजाज़त है और उन्हें ड्राइव-इन मूवी थिएटर संबंधी वर्तमान मार्गदर्शन का पालन करना जारी रखना होगा।
8. **म्यूज़ियम/ज़ू/अक्वेरियम** इनडोर सर्विस के लिए बंद हैं।
9. **रीयल एस्टेट:** ओपन हाउस का आयोजन वर्जित है।
10. **शादी और अंतिम संस्कार:** समारोहों में कुल 30 लोगों तक संख्या सीमित है। इनडोर रिसेप्शन्स, वेक्स, या ऐसे समारोहों के साथ जुड़ी मिलती-जुलती सभाएं वर्जित हैं।
11. **इन-स्टोर रिटेल** आंतरिक संख्या सीमा के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी, तथा आम/अलग बैठने की जगहें और इनडोर डाइनिंग सुविधाएं, जैसे फूड कोर्ट, बंद हैं।
12. **धार्मिक सेवाएं** आंतरिक संख्या सीमा के 25 प्रतिशत, या अधिकतम 200 लोग, जो भी कम हो, तक सीमित हैं। सभा के सदस्यों/उपस्थित लोगों को हर समय फेस कवरींग पहननी होगी और सभा में गीत गाना वर्जित है। सेवा के दौरान कोई भी कॉइर, बैंड, या समूह प्रदर्शन नहीं करेगा। एकल गायकों या यंत्र-वादकों को प्रदर्शन करने की इजाज़त है, और एकल गायकों के साथ एकल उपवादक मौजूद हो सकता है। बाहरी सेवाओं को संरचना या परिसर पर लागू आउटडोर डाइनिंग गाइडेंस का पालन करना होगा, जो [यहाँ](#) दी गई है।
13. **पेशेवर सेवाओं** के लिए यह अनिवार्य करना आवश्यक है कि जब संभव हो कर्मचारी घर से काम करें और अगर मुमकिन हो तो आम लोगों के लिए कार्यालय बंद रखें। ऐसा कोई भी कार्यालय जिसका खुला रहना ज़रूरी है, वहाँ आंतरिक संख्या सीमा के 25 प्रतिशत तक लोग मौजूद होने चाहिए।
14. **व्यक्तिगत सेवाएं** आंतरिक संख्या सीमा के 25 प्रतिशत तक सीमित हैं।
 - व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं में शामिल हैं: कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजी टेस्टिंग, हेयरस्टाइलिस्ट, नाई, एस्थेटिशियन, मास्टर एस्थेटिशियन, मैनिक्युरिस्ट, नेल सैलून के कर्मचारी, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, स्थायी मेकअप आर्टिस्ट, टैनिंग सैलून, और टैटू आर्टिस्ट।
15. **लंबी अवधि की देखभाल सुविधाएं:** बाहरी विज़िट्स की इजाज़त है। आंतरिक विज़िट्स वर्जित हैं, लेकिन किसी आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति या जीवन के अंत तक देखभाल के लिए अलग-अलग अपवादों की अनुमति है। इन प्रतिबंधों को Proclamation 20-74, इत्यादि में दिए गए परिसरों में भी विस्तारित किया गया है। Proclamations 20-66, इत्यादि, और 20-74, इत्यादि, के अन्य सभी प्रावधान लागू हैं, जिनमें किसी भी विज़िटर को अनुमति देने के लिए सभी प्रारंभिक मानदंड शामिल हैं।
16. **युवा और वयस्क खेलकूद गतिविधियाँ:** आंतरिक गतिविधियाँ तथा सभी प्रतियोगिताएं और खेल वर्जित हैं। बाहरी गतिविधियाँ केवल एक ही टीम के बीच अभ्यास करने तक सीमित होंगी, जहाँ सभी प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों और खिलाड़ियों के लिए हर समय फेस कवरींग पहनना ज़रूरी होगा।